कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 23-01-2026 “ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- जंसा

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा **गौरव चन्द्र राय उर्फ मुकेश** को **20 वर्ष कठोर कारावास** एवं **36 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना जंसा में पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2019 धारा 363, 366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में आज दिनांक 23.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गौरव चन्द्र राय उर्फ मुकेश पुत्र विजय कुमार निवासी गंगापुर थाना रोहनियां जिला वाराणसी को **20 वर्ष के कठोर कारावास** एवं **36 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्री संतोष कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो-02, वाराणसी।

उ0नि0 मनीष कुमार मिश्रा
विवेचक

का0 रंजीत कुमार सिंह, पैरोकार थाना जंसा

म0का0 अंशु पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर